गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Panchayati Raj

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

पंचायती राज

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Relevant Provisions in the New Criminal Laws

- Relevant Sections of Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 which are particularly more related to rural areas are

- Section 146 - Unlawful compulsory labour.
- Section 291 - Negligent conduct with respect to animal.
- Section 303 - Theft.
- Section 304 – Snatching.
- Section 325 - Mischief by killing or maiming animal.
- Section 326 - Mischief by injury, inundation, fire or explosive substance, etc including the act of diminution of the supply of water for agricultural purposes, or for food or drink for human beings or for animals which are property.

- Relevant Sections of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 related to rural areas are

- Section 34 – States that it is the duty of officers employed in connection with affairs of a village to make report wherein

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

नए आपराधिक कानूनों में प्रासंगिक प्रावधान

- भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) की संबंधित धाराएं जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक संबंधित हैं, वे हैं –

- धारा 146 – गैरकानूनी अनिवार्य श्रम।
- धारा 291 – पशुओं के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।
- धारा 303 – चोरी।
- धारा 304 – झपटमारी।
- धारा 325 – पशु को मार कर या अपंग करके क्षति पहुँचाना।
- धारा 326 – चोट, बाढ़, आग या विस्फोटक पदार्थ आदि द्वारा शरारत करना, जिसमें कृषि उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति या मनुष्यों के लिए भोजन या पेय के लिए या जानवरों के लिए पानी की आपूर्ति को कम करने का कार्य शामिल है।

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित धाराएं हैं–

- धारा 34 – में कहा गया है कि किसी गांव के मामलों के संबंध में नियुक्त अधिकारियों का यह कर्तव्य

that officer is bound to forthwith communicate to the nearest Magistrate or to the officer in charge of the nearest police station anyinformation worth their knowledge.

- Sections 164, 165 & 166 – Mentions the procedures to be adopted in cases of disputes related to immovable property like land or water, including matters pertaining to right of their use.

है कि वे रिपोर्ट बनाएं जिसमें वह अधिकारी निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को उनको देने लायक कोई भी जानकारी देने के लिए बाध्य है।

- धारा 164, 165 और 166 – भूमि या पानी जैसी अचल संपत्ति से संबंधित विवादों के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बताती है, जिसमें उनके उपयोग के अधिकार से संबंधित मामले भी शामिल हैं।